

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।
(श्रम अधीक्षक का कार्यालय, रामगढ़)

—:अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना:-

विज्ञापन संख्या:-01/2016

श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के हितार्थ रामगढ़ जिला अन्तर्गत कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु प्रवासी मजदूरों का सर्वेक्षण कार्य के लिए पूर्व में प्रकाशित "इच्छा की अभिव्यक्ति" जिसका PR No.-134591 (Ramgarh) 15-16, को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार से निविदा आमंत्रित की जाती है।

सर्वेक्षण कार्य के लिए इच्छुक स्वयं सेवी संस्था/गैर सरकारी संगठन दिनांक-~~10/2/16~~ को अपराह्न 3:30 बजे तक अल्पकालीन निविदा मुहरबंद लिफाफे में श्रम अधीक्षक का कार्यालय, रामगढ़ में आमंत्रित किया जायेगा तथा निविदा को दिनांक-~~11/2/16~~ को अपराह्न 3:30 बजे उपायुक्त का कार्यालय, रामगढ़ में खोला जायेगा। संबंधित निविदा की शर्तें रामगढ़ जिला के अधिकारिक वेबसाईट-www.ramgarh.nic.in पर देखा जा सकता है।

निविदा की शर्तें

तकनीकी बीड

1. निविदादाताओं को आयकर का अद्यतन (वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15) का रिटर्न, निबंधन प्रमाण पत्र एवं PAN कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. पूर्व में किये गये किसी भी सरकारी सर्वेक्षण कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 का संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाताओं को निविदा के साथ अग्रधन की राशि के रूप में प्रतिभूति राशि 10,000/- (दस हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट उपायुक्त, रामगढ़ के नाम पर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

वित्तीय बीड

1. निविदादाताओं को पूरे जिले में प्रत्येक घर का सर्वेक्षण के लिए अपेक्षित राशि अंकित कर बंद लिफाफे में जमा करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा समर्पित कर देने के बाद प्रस्तुत कोई दर मान्य नहीं होगा।

अन्य शर्तें

1. तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग-अलग मुहर बंद लिफाफे में रखकर दोनों को एक बड़े लिफाफे में मुहरबंद कर उपायुक्त, रामगढ़ के पदनाम से दिनांक 10/11/16 को अपराहन 3:30 बजे तक श्रम अधीक्षक का कार्यालय, रामगढ़ में जमा किया जा सकता है। निर्धारित समय के उपरान्त कोई भी निविदा स्वीकार नहीं होगा।
2. तकनीकी बीड में सफल निविदादाता का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा।
3. निविदादाताओं को कार्यादेश प्राप्त होने के उपरान्त 10(दस) दिनों के अन्दर सर्वेक्षण प्रारम्भ कराना अनिवार्य होगा।
4. सर्वेक्षण का कार्य की समयावधि एक माह की होगी।
5. प्रवास पर गये मजदूरों का प्रत्येक गांव/मुहल्ला के प्रत्येक घर में जाकर परिवार के सदस्यों से सम्पर्क कर आवश्यक सूचना एकत्र करते हुए प्राप्त सूचनाओं का कार्यालय के विहित प्रपत्र में संधारण करना तथा पंचायत वार प्रतिवेदन Excel Sheet में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में कार्यालय को समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा के अंतिम निस्तार के पश्चात् स्वीकृत निविदा को छोड़कर शेष प्रतिपूर्ति अग्रिम राशि का बैंक ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा।
7. किसी भी निविदादाता को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत/दर वार्ता (Negotiation) करने का अधिकार उपायुक्त, रामगढ़ के पास सुरक्षित रहेगा।


28/11/16
उपायुक्त
रामगढ़।